न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली प्रार्थना पत्र /FSSA/संख्या : 28/2018

आसिमदीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर।

सायल

बनाम

1. धर्मचन्द जैन पुत्र नेमीचन्द जैन जाति जैन निवासी जैन मौहल्ला कुम्हेर जिला भरतपुर (मालिक एवं विक्रेता) मै0 जैन ट्रेडिंग कम्पनी कोतवाली के पास कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. म्नोज कुमार जैन (मालिक) मैसर्स एन0 सी0 ऑईल प्रोडेक्ट, डीग रोड कुम्हेर जिला भरतपुर।

गैर सायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (II) एवं 24 की उपधारा (1) (2) (b) (c) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थिति : गैर सायल स्वयं।

निर्णय

दिनांक : 23.5.2018

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (II) एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011 विरूद्ध गैरसायलान प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायलान उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित नहीं। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायलान को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 26.7.2017 को दोपहर बाद गैरसायल की फर्म मैसर्स जैन ट्रेडिंग कम्पनी, कोतवाली के पास कुम्हेर जिला भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल एवं विक्रय हेतु खाद्य वस्तु ब्लनडेड एडिबल ऑईल (हर्ट एक्टीव ब्राण्ड) के 500 एम0एल0 की बोतलों के 4 कार्टून रखे हुये पाये गये। जिसमें मिलावट/मिथ्याछाप का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–741/एक्ट/2017/762 दिनांक 8.8.2017 द्वारा उक्त खाद्य वस्तु ब्लनडेड एडिबल ऑईल (हर्ट एक्टीव ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप एवं भ्रामक विज्ञापन युक्त (Misbranded and Misleading Food) प्रकृति का पाया गया है। गैर सायल द्वारा मिथ्याछाप एवं भ्रामक विज्ञापन युक्त प्रकृति की खाद्य वस्तु विक्रय

करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है। जांच में जो कमियां पायी गई है उन्हें सहवनवश भूल एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थीगण स्वीकार करते है। जिसका भी हमने तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैर सायल यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए किसी भी खादय पदार्थ का विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील गैर सायल के कथनों पर मनन किया । दौराने निरीक्षण गैर सायल की दुकान पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य वस्तु ब्लनडेड एडिबल ऑईल (हर्ट एक्टीव ब्राण्ड) का नियमानुसार नमूना लिया जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–741/एक्ट/2017/762 दिनांक 8.8.2017 द्वारा मिथ्याछाप एवं भ्रामक विज्ञापन युक्त (Misbranded and Misleading Food) प्रकृति का पाया गया है। गैर सायलान द्वारा मिथ्याछाप एवं भ्रामक विज्ञापन युक्त प्रकृति की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने एवं तत्समय कमी की पूर्ति किये जाने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 52–53 के तहत गैरसायलान के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैर सायलान को 5,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायलान अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायलान द्वारा रसीद संख्या 000033 दिनांक 23.5.2018 से अर्थदण्ड राशि जमा राजकोष की गई । कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.5.2018 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर